प्रकरण सं. 28/2023 भगवंत्र बनाम गोगा

| दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25/9/25 | पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी सहमती आदेशिका पर अंकित कर दी गई है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से दिनांक 15.03.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.03.2024 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक–हिस्से व कब्जे अनुसार पारित की गई थी तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को हक–हिस्से, कब्जे एवं मिट्स एण्ड बाउण्डस् के अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 07.06.2024 तक प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था।<br><br>तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 15.03.2024 की पालना में प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07.08.2025 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक 1527 दिनांक 25.06.2025 से सूचना पत्र समस्त पक्षकारान् को जारी किया गया। सूचना पत्र पर वादी के हस्ताक्षर है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव में मौके पर वादी स्वयं उपस्थित रहा। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर समस्त पक्षकारान् को नोटिस जारी किए जाने के बाद भी प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने एवं विभाजन प्रस्ताव पर समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।<br><br>निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय की अनुपालना में अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।<br><br>25/9/25<br>सहायक कलक्टर<br>भीलवाड़ा<br>सहायक कलक्टर<br>भीलवाड़ा | |

उदाहरण

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

# न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. अमरचन्द पिता खेमा गाडरी उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा –वादी

बनाम

1. गांगा पुत्र खेमा गाडरी उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. चांदी पत्नी नारायण गाडरी उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

प्रकरण संख्या 28/2023 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार जोशी उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 19.09.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिकी दी जाती है:–

तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की सहमती होने एवं किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिकी का अभिन्न अंग रहेगा।

25/9/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा